प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1 जिला – भ्र.नि.ब्यूरो जोधपुर थाना – प्र. आ. केन्द्र भ्र. नि. ब्यूरो, जयपुर

प्र. ई. रि. स. – 222/23 दिनांक – 19/8/2023

2. (अ) अधिनियम – भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) धाराये – 7

(ब) अधिनियम – भा.द.सं. धाराये – 120बी

(स) अधिनियम – .... धाराये ....

(द) अन्य अधिनियम - धाराये – ....

3. अ. रोजनामचा आम रपट संख्या – 362 समय – 4:30 pm

ब. अपराध के घटने का दिन – शुक्रवार, दिनांक – 18.08.2023 समय – 12.41 पी.एम.

स. कार्यालय पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक – 17.08.2023 समय – 09.20 ए.एम.

4. सूचना की किस्म – लिखित/मौखिक – लिखित।

5. घटना स्थल –

(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – बरूख उतर लगभग 30 किलोमीटर

(ब) पता : राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सुंधार ढाणा मथानिया जोधपुर

बीट संख्या जरायमदेही संख्या

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो

पुलिस थाना .... जिला ....

6. परिवादी का नाम

1. (अ) नाम – श्री हीराराम टाक (ब) पिता/पति का नाम – श्री फूशाराम

(स) जन्म तिथि/वर्ष – 24 वर्ष (द) राष्ट्रीयता – भारतीय

(य) व्यवसाय – विद्यार्थी (र) पता – आमलिया बेरा अगुणा नेड़ा मथानिया जिला जोधपुर।

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियो सहित–

1. **श्री मनोहरसिंह पातावत पुत्र श्री भवरसिंह** जाति राजपूत उम्र 50 साल निवासी शिवजी नगर नाले के पास बालसमन्द जोधपुर हाल प्रधानाध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सुंधार ढाणा, मथानिया जोधपुर।
2. **श्री सांवरमल बाजिया पुत्र श्री फूलचन्द बाजिया** जाति जाट उम्र 39 साल निवासी नया बास तहसील **दातारामगढ़ जिला सीकर हाल अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सुंधार ढाणा, मथानिया जोधपुर।**

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :– नही

9 चुराई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां – शुन्य

10. चुराई हुई लिप्त सम्पतियां का कुल मूल्य : रिश्वत राशि 2000/– रू.

11. पंचनामा/यूडी केस संख्या (अगर कोई हो तो).......... कोई नहीं..........

12. विषय वस्तु प्रथम इतला रिपोर्ट..................

कार्यवाही पुलिस

दिनांक 17.08.2023 समय 09.20 ए.एम.

इस समय परिवादी श्री हीराराम टाक पुत्र श्री कुशाराम जाति माली निवासी मथानिया जिला जोधपुर ने कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर में उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट श्री सुरेन्द्र कुमार अति पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर के समक्ष इस आशय की पेश की कि " मैं अभी सुचेता कृपलानी बी.एड. कॉलेज से फाईनल ईयर का छात्र हूं, मुझे बी.एड. इंटर्नशिप के लिए राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल सुथार ढाणा मथानियां मिली थी। अभी मेरी 96 दिन की इंटर्नशिप पूरी हो गई है। लेकिन अभी मुझे इंटर्नशिप प्रमाण पत्र नहीं दे रहा है और इस प्रमाण पत्र को देने की एवज में 2 हजार की रिश्वत की मांग कर रहा है। और अगर मैं 2 हजार रूपये नहीं दूंगा तो वह मुझे इंटर्नशिप प्रमाण पत्र नहीं देगा। मैं मेरे जायज काम के लिए मनोहर सिंह पातावत राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल का हैड मास्टर को रिश्वत देना नहीं चाहता हूं बल्कि मैं उसे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकड़वाना चाहता हूं। मेरी मनोहरसिंह पातावत से ना तो कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है और ना ही कोई पुराना लेनदेन बाकी है। " मजीद दरियाफ्त पर परिवादी ने बताया कि उक्त लिखित रिपोर्ट मैंने लिखी है तथा उक्त रिपोर्ट में अंकित समस्त तथ्य सही होना बताया। लिखित रिपोर्ट व मजीद दरियाफती से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधन 2018) के तहत होना पाया जाने से अग्रिम ट्रेप कार्यवाही सम्पादित करने हेतु मन् सुनिता कुमारी निरीक्षक पुलिस निरीक्षक को अपने कक्ष में बुलाकर परिवादी श्री हीराराम टाक का परिचय कराया गया। श्री हीराराम द्वारा पेश की गई लिखित रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेज मन सुनिता कुमारी निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर अग्रिम कार्यवाही नियमानुसार करने हेतु निर्देश दिये। तत्पश्चात मन सुनिता कुमारी निरीक्षक पुलिस मय परिवादी श्री हीराराम टाक की लिखित रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेज मय परिवादी श्री हीराराम टाक को अपने साथ लेकर अपने कार्यलय कक्ष में आई व परिवादी श्री हीराराम टाक की लिखित रिपोर्ट का अवलोकन कर परिवादी श्री हीराराम टाक से रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों के बारे में दरियाफती की तो परिवादी ने लिखित रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों का सही होना बताया। मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधन 2018) का होना पाया जाने से रिश्वत राशि मांग सत्यापन करने का निर्णय लिया गया। कार्यालय के श्री जगदीश चौधरी सहायक उप निरीक्षक पुलिस को तलब कर उसका परिचय परिवादी श्री हीराराम टाक से करवाया गया। दोनों के मोबाईल नम्बर एक दूसरे को आदान प्रदान करवाये गये। कार्यालय की अलमारी से डिजीटल वॉयस रिकार्डर निकाल कर उसको चालू करने, बन्द करने, संचालन करने की प्रक्रिया परिवादी श्री हीराराम व श्री जगदीश चौधरी सहायक उप निरीक्षक पुलिस को समझाया गया। तत्पश्चात वक्त 10.00 ए.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को खाली होना सुनिश्चित कर श्री जगदीश चौधरी सहायक उप निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर परिवादी श्री हीराराम टाक व आरोपी श्री मनोहरसिंह पातावत के मध्य रिश्वति राशि मांग सत्यापन करवाकर आने हेतु परिवादी श्री हीराराम टाक व श्री जगदीश चौधरी सहायक उप निरीक्षक पुलिस को आवश्यक हिदायत देकर गांव मथानिया जिला जोधपुर की तरफ रवाना किया गया। बाद वक्त 12.03 पी.एम. पर श्री जगदीश चौधरी सहायक उप निरीक्षक पुलिस ने अपने मोबाईल नं 9783762785 से मन निरीक्षक पुलिस के मोबाईल नं. 9784854073 पर कॉल कर बताया कि परिवादी के कहेनुसार रिश्वत राशि का मांग सत्यापन हो गया जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस ने श्री जगदीश चोधरी सहायक उप निरीक्षक पुलिस को परिवादी के साथ कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिये। तत्पश्चात वक्त 02.00 पी.एम. पर श्री जगदीश चौधरी सहायक उप निरीक्षक पुलिस व परिवादी श्री हीराराम टाक रिश्वत राशि मांग सत्यापन में गये हुए कार्यालय में उपस्थित आये तथा श्री जगदीश चौधरी सहायक उप निरीक्षक पुलिस ने स्विच ऑफ शुदा कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर मन् निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर बताया कि परिवादी श्री हीराराम टाक व संदिग्ध अधिकारी श्री मनोहरसिंह पातावत के मध्य रिश्वत राशि की मांग सत्यापन की वार्ता हो गई जो इस डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड है साथ ही परिवादी ने मन् निरीक्षक पुलिस को बताया कि आपके निर्देशानुसार मैं व श्री जगदीश चौधरी सहायक उप निरीक्षक पुलिस ब्यूरो चौकी से रवाना होकर बस में बैठकर मथानिया बाईपास चौराहा पहुंचे। जहां पर मेरे बुलाने पर मेरा मित्र एक मोटरसाईकिल लेकर आया। उक्त मोटरसाईकिल से मैं व श्री जगदीश चौधरी सहायक उप निरीक्षक पुलिस वहां से रवाना होकर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सुथार ढाणा मथानिया के पास पहुंचे जहां पर श्री जगदीश प्रसाद सहायक उप निरीक्षक पुलिस ने मुझे आवश्यक हिदायत देकर अपने साथ लाये डिजीटल वॉयस रिकार्डर स्वीच ऑन कर मुझे सुपुर्द कर श्री मनोहरसिंह पातावत हैड मास्टर से वार्ता करने हेतु मेरी मोटर साईकिल से राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल सुथार ढाणा के लिये रवाना किया। मैं विद्यालय के अन्दर हैडमास्टर के कार्यालय में पहुंचा जहां पर श्री मनोहरसिंह पातावत हैड मास्टर उपस्थित मिले। जिनसे मेरी मेरे बी.एड. की द्वितीय वर्ष इन्टर्नशिप प्रमाण पत्र देने की वार्ता हुई। दौराने वार्ता श्री मनोहरसिंह पातावत ने मेरे बी.एड. की द्वितीय वर्ष का इन्टर्नशिप प्रमाण पत्र देने की ऐवज में 2000/—रूपये रूपये की मांग

की है। उक्त रिश्वति राशि लेकर आने के बाद ही इन्टरशिप प्रमाण पत्र देने हेतु कहा है। उक्त वार्ता डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकार्ड है। उसके बाद उपरोक्त रिश्वति राशि मांग सत्यापन के हालात श्री जगदीश चौधरी सहायक उप निरीक्षक पुलिस को निवेदन कर आपके निर्देशानुसार हम दोनों वहां से रवाना होकर मेरी मोटर साईकिल मथानिया में मेरे मित्र को देकर बस से वहां से रवाना होकर आपके पास आये है। जिस पर पास ही खड़े श्री जगदीश चौधरी सहायक उप निरीक्षक पुलिस ने भी परिवादी के कथनों की ताईद की। जिस पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर ऑन कर उक्त रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्ता को सुना गया तो परिवादी श्री हीराराम टाक के कथनों की ताईद होकर रिश्वति राशि मांग की पुष्टि हुई। उक्त रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट आईन्दा बनाने का निर्णय लिया जाकर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर सुरक्षित अभिरक्षा में रखा। जिस पर समस्त हालात श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को निवेदन किये गये। साथ ही परिवादी को आरोपी श्री मनोहरसिंह पातावत को रिश्वति राशि में दी जाने वाली राशि के बारे में पुछा परिवादी ने बताया कि अभी मेरे पास 2000/ रूपये नही हैं मैं कुछ समय बाद रूपयों की व्यवस्था कर वापस आ जाउंगा। जिस पर परिवादी को आरोपी द्वारा मांगी गई रिश्वति राशि व्यवस्था कर लेकर आने एवं अब तक की कार्यवाही की गोपनीयता बरतने की हिदायत देकर रूखसत किया। तत्पश्चात अग्रिम गोपनीय कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र गवाहान की आवश्यकता होने पर दो स्वतन्त्र गवाह भिजवाने हेतु एक पत्र सचिव जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम जारी कर जरिये ईमेल प्रेषित किया गया एवं स्वतन्त्र गवाह भिजवाने हेतु सचिव जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर से जरिये मोबाईल वार्ता भी की। तत्पश्चात वक्त 04.10 पी.एम. पर परिवादी श्री हीराराम टाक कार्यालय हाजा में उपस्थित आया तथा साथ ही मन निरीक्षक पुलिस को बताया कि आरोपी श्री मनोहरसिंह को रिश्वति राशि में दी जाने वाली रिश्वति राशि मैं 2000/--रूपये की व्यवस्था कर साथ लेकर आया हू। आईन्दा स्वतन्त्र गवाहान के उपस्थित होने पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। तत्पश्चात वक्त 05.30 पी.एम. पर जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर से दो कार्मिको के कार्यालय हाजा में उपस्थित आये तथा मन निरीक्षक पुलिस से सम्पर्क किया। उपस्थित आये कार्मिकों से मन सविता कुमारी निरीक्षक पुलिस द्वारा दोनों कार्मिकों को अपना परिचय देकर उनका परिचय पुछा तो उन्होंने बारी–बारी से अपना परिचय से अपना परिचय श्री नागेन्द्र राजपुरोहित पुत्र श्री प्रवीण कुमार उम्र 48 जाति राजपुरोहित निवासी गांव बारवा तहसील बाली जिला पाली हाल कनिष्ठ अभियन्ता जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर व श्री गौरव कुमार पुत्र श्री पूरणसिंह जाति रावल उम्र 33 साल निवासी चौधरी छात्रावास के सामने मारवाड जंक्शन तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली हाल सूचना सहायक जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के रूप में दिया। हर दोनों उपस्थित कार्मिकों एवं उपस्थित परिवादी श्री हीराराम टाक का आपस में परस्पर परिचय करवाकर दोनो कार्मिको को बुलाने के मन्तव्य से अवगत करवाकर परिवादी श्री हीराराम टाक द्वारा आज दिनांक 17.08.2023 को प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन करवाया गया एवं परिवादी श्री हीराराम टाक व आरोपी मनोहरसिंह पातावत के मध्य आज दिनांक 17.08.2023 को हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड है के मुख्य अंश को सुनाया गया। दोनो कार्मिकों द्वारा परिवादी की रिपोर्ट पढकर परिवादी से तसली से पुछताछ कर एवं रिश्वत राशि मांग सत्यापन की रिकार्ड वार्ता के मुख्य अंश सुनकर ट्रेप कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाह रहने की मौखिक सहमति दी। उक्त रिकार्ड वार्ता की आईन्दा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट बनाने का निर्णय लिया। जिस पर दोनों स्वतन्त्र गवाहान ने अपने अपने दिनांकित हस्ताक्षर परिवादी श्री हीराराम टाक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजों पर किये गये। तत्पश्चात [illegible] गवाहान के समक्ष परिवादी श्री हीराराम टाक पुत्र श्री कुम्भाराम जाति [illegible] निवासी मथानिया जिला जोधपुर ने आरोपी श्री मनोहरसिंह पातावत हेड मास्टर राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल सुनार [illegible] मथानिया को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने हेतु कहा गया। जिस पर परिवादी श्री हीराराम टाक ने भारतीय मुद्रा के पांच सौ- पांच सौ रूपयों के 4 नोट कुल राशि 2000 रूपये पेश किये। परिवादी श्री हीराराम टाक द्वारा प्रस्तुत नोटों के नंबर फर्द पेशकशी में अंकित किये गये जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

01.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	9 EE 790981
02.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	9 EG 672489
03.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	5 KQ 168779
04.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	5 KS 658323

श्री गणेशाराम पंवार वरिष्ठ सहायक से कार्यालय हाजा के मालखाना से फिनाफ्थलीन पाउडर की शीशी मंगवाई जाकर उपरोक्त राशि 2000/– रूपये के नोटों पर श्री गणेशाराम पंवार वरिष्ठ सहायक से नोटो को अखबार के उपर रखवाकर उन पर हल्का हल्का फिनाफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री हीराराम टाक की जामा तलाशी गवाह श्री नागेन्द्र राजपुरोहित से लिवाई जाकर मोबाईल फोन परिवादी श्री हीराराम टाक के पास रहने दिया गया। इसके अलावा कोई आपत्तिजनक दस्तावेजात व अन्य राशि नहीं रहने दी गई। [illegible]

फिनोफथलीन पाउडर युक्त 2000/- रूपये जो श्री मनोहरसिंह पातावत हेड मास्टर राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल सुंधार ढाणा मथानिया को दी जानी है, की राशि के नोटों को श्री गणेशाराम पंवार वरिष्ठ सहायक से उक्त फिनोफथलीन पाउडर युक्त नोटों को परिवादी श्री हीराराम टाक के पहनी शर्ट की सामने की बायी जेब में 500-500 रूपये के 4 नोट कुल राशि 2000/-रूपये श्री गणेशाराम वरिष्ठ सहायक से रखवाये जाकर गवाहान के समक्ष परिवादी श्री हीराराम टाक को हिदायत दी गई कि इस रिश्वती राशि को रास्ते में नहीं छुए एवं आरोपी द्वारा मांगने पर ही उक्त रिश्वती राशि पेन्ट की आगे की दाहिनी जेब में से निकाल कर देवे तथा आरोपी से हाथ नहीं मिलावे। ट्रेप पार्टी को देखकर अपने सिर पर आगे से पीछे अपना हाथ दो बार फेर कर या मन् सुनिता कुमारी निरीक्षक पुलिस भ्र.नि.ब्यूरो जोधपुर के मोबाईल नं. 9784854073 पर रिश्वती राशि आदान प्रदान होने की सूचना करें। तत्पश्चात् एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी भरकर मंगवाया गया। जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर उपस्थितान को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने घोल का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में नोटों पर फिनोफथलीन पाउडर लगाने वाले श्री गणेशाराम पंवार वरिष्ठ सहायक के हाथों की अंगुलियां को डुबाकर धुलवाई गई तो घोल का रंग परिवर्तित होकर गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने घोल का रंग गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। सभी हाजरीन को समझाईश की गई कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि के नोटों को हाथ लगाने और सोडियम कार्बोनेट के घोल में हाथ धुलाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट के मिश्रण की क्रिया--प्रतिक्रिया व उपयोगिता के बारे में भली भांति समझाया गया। फिर नोटों पर पाउडर लगाने वाले श्री गणेशाराम पंवार वरिष्ठ सहायक से गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिंकवाया जाकर गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवाया जाकर जिस अखबार पर रख कर नोटों पर फिनोफथलीन पाउडर लगाया गया था, उस अखबार को भी जलाकर नष्ट करवाया गया। फिनोफथलीन पाउडर की शीशी को पाउडर लगाने वाले श्री गणेशाराम पंवार वरिष्ठ सहायक से कार्यालय हाजा के मालखाना में रखवायी गई। गवाहान को हिदायत दी गई कि जहां तक संभव हो परिवादी व आरोपी के बीच में होने वाली रिश्वती राशि लेन देन व वार्तालाप को देखने व सुनने का प्रयास करें। परिवादी श्री हीराराम टाक को छोड़कर समस्त ब्यूरो टीम व दोनों स्वतन्त्र गवाहान के हाथों का साबुन से साफ धुलवाये गये व ब्यूरो स्टाफ की आपसी जामा तलाशी लिवाई जाकर अपने अपने विभागीय [illegible] कोई भी आपत्तिजनक वस्तु, राशि व दस्तावेजात किसी के पास नहीं रहने दिये गये मन पुलिस निरीक्षक द्वारा खर्चे के 1,000 रूपये अपने पास रखे। उक्त समस्त कार्यवाही फर्द पेशकशी रिश्वती राशि एवं दृष्टान्त फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट एवं सुपुर्दगी रिश्वति राशि मुर्तिब कर सम्बंधितान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल रनिंग नोट की गई। ताबाद वक्त 06.15 पी.एम. पर परिवादी श्री हीराराम टाक ने मन् निरीक्षक पुलिस को बताया कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का स्कूल टाईम प्रातः 07.30 बजे से 01.00 पी.एम. तक होने के कारण हैडमास्टर श्री मनोहरसिंह विद्यालय से निकल चुका है इसलिये आज ट्रेप कार्यवाही होना सम्भव नहीं है। साथ ही परिवादी ने मन् निरीक्षक पुलिस को बताया कि कल दिनांक 18.08.2023 को प्रातः 08.00 से 11.00 बजे तक मेरे बी.एड. द्वितीय वर्ष की परीक्षा मयूराक्षी कॉलेज मथानिया रोड जोधपुर में है इसलिये मैं परीक्षा देने में व्यस्त होने से कल सुबह ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित नहीं हो पाउंगा। मैं मेरी परीक्षा समाप्त होने पर मयुराक्षी कॉलेज मथानिया रोड जोधपुर के सामने आपको उपस्थित मिल जाउंगा। तत्पश्चात् स्वतन्त्र गवाह श्री नागेन्द्र राजपुरोहित से परिवादी श्री हीराराम टाक के पहनी शर्ट की सामने की बायी जेब में 500-500 रूपये के 4 नोट कुल राशि 2000/-रूपये निकलवाकर उसको एक सफेद लिफाफे में डलवाया जाकर मन सुनिता कुमारी द्वारा स्वतन्त्र गवाह श्री नागेन्द्र राजपुरोहित से ही रिश्वति 2000/--रूपये के लिफाफे कार्यालय के अलमारी के डबल लॉक में रखवा कर डबल लॉक पर अलमारी के ताला लगवाया जाकर चाबी मन् निरीक्षक पुलिस ने अपनी अभिरक्षा में रखी गई। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर जिसमें आज दिनांक 17.08.2023 को परिवादी श्री हीराराम टाक एवं श्री मनोहरसिंह पातावत के मध्य हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड है को भी मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया। ताबाद स्वतंत्र गवाहान श्री नागेन्द्र राजपुरोहित एवं श्री गौरव कुमार को कल दिनांक 18.08.2023 को प्रातः 09.00 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित होने तथा परिवादी श्री हीराराम टाक को मयुराक्षी कॉलेज मथानिया रोड के सामने कल दिनांक 18.08.2023 को प्रातः 11.10 ए.एम. पर मिलने एवं अब तक की कार्यवाही की गोपनीयता बरतने की हिदायत कर रुखसत किया गया। दिनांक 18.08.2023 को वक्त 10.00 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्दशुदा स्वतन्त्र गवाह श्री नागेन्द्र राजपुरोहित व श्री गौरव कुमार मन निरीक्षक पुलिस के समक्ष ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये। तत्पश्चात् वक्त 10.45 ए.एम. पर मन् सुनिता कुमारी निरीक्षक पुलिस द्वारा रिश्वति राशि 2,000/- रूपये एक सफेद लिफाफा में कार्यालय के अलमारी के डबल लॉक में रखवाये गये थे उक्त अलमारी का ताला खोलकर अलमारी में रखी गई रिश्वती राशि रखी 2000/--रूपये का सफेद अलमारी से गवाह श्री नागेन्द्र राजपुरोहित से

निकलवाकर गवाह श्री नागेन्द्र राजपुरोहित के पास ही सुरक्षित रहने दिया गया। तावाद वक्त 11.00 ए.एम. पर मन सुनिता कुमारी निरीक्षक पुलिस मय दोनो स्वतन्त्र गवाहन श्री नागेन्द्र राजपुरोहित, श्री गौरव कुमार, ब्यूरो जाब्ता श्री सुरेन्द्र कुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, श्री मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस, श्री जगदीश चौधरी सहायक उप निरीक्षक पुलिस, श्री भुरसिंह कानि. नं. 23, श्री छैलाराम कानि. नं. 46, श्री भरत डुकिया कनिष्ठ सहायक के प्राईवेट वाहन एवं सरकारी वाहन टवेरा नं. आरजे 14 युसी 3552 मय कानि. चालक श्री प्रेमसिंह नं. 535 के ट्रेप बॉक्स, आवश्यक सामग्री, कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकार्डर, लैपटॉप मय प्रिन्टर के अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु कार्यालय भ.नि.ब्यूरो जोधपुर से मथानिया की तरफ रवाना होकर वक्त 11.30 ए.एम. पर मयुराक्षी कॉलेज मथानिया रोड जोधपुर के सामने पहुंचे। जहां पर पूर्व से पाबन्दशुदा परिवादी श्री हीराराम टाक उपस्थित मिला। जिनको हमराह लेकर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सुंधार ढाणा मथानिया की तरफ रवाना होकर वक्त 11.55 ए.एम. पर मन निरीक्षक पुलिस मय समस्त हमरायान के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सुंधार ढाणा मथानिया से लगभग 200 मीटर पहले पहुंचे। जहां पर मन् निरीक्षक पुलिस ने प्राईवेट एवं सरकारी वाहनों को रोड के साईड में गोपनीय रूप से खडा करवाया। मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी को हिदायत हुई कि रिश्वती राशि आदान–प्रदान के पश्चात पूर्व मे निर्धारित गोपनीय ईशारा कर अवगत करावे। तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री हीराराम की जामा तलाशी गवाह श्री नागेन्द्र राजपुरोहित से लिवाई जाकर परिवादी के पास उसका मोबाईल फोन के अलावा कोई राशि या आपत्तीजनक दस्तावेज नही रहने दिये गये। परिवादी के हाथ में पूर्व से एक प्लास्टिक की थैली थी जिसमें परिवादी का आधार कार्ड, परीक्षा प्रवेश पत्र एवं 10 रूपये का नोट जो उसके पास ही रहने दिया गया। उक्त आरोपी श्री मनोहरसिंह पातावत को रिश्वत में दी जाने वाली राशि गवाह श्री नागेन्द राजपुरोहित के पास रखी हुई है को सफेद लिफाफे से बाहर निकलवाकर रिश्वती राशि के नोटो को उपर नीचे करवाकर परिवादी के पहनी हुई शर्ट के सामने की बायी जेब में रिश्वती राशि रू. 2,000/– रखवाई गई। तत्पश्चात गवाह श्री नागेन्द्र राजपुरोहित से उस सफेद लिफाफे को जलवाया जाकर नष्ट करवाया गया एवं गवाह श्री नागेन्द्र राजपुरोहित के दोनो हाथ साफ पानी एवं साबुन से धुलवाये गये। तावाद मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी को आवश्यक हिदायत के साथ कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर ऑन कर सुपुर्द किया एवं आरोपी श्री मनोहरसिंह पातावत से सम्पर्क कर रिश्वति राशि लेन–देन हेतु राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सुंधार ढाणा मथानिया जोधपुर के लिये रवाना किया। मन् निरीक्षक पुलिस मय समस्त हमराहयान ने अपनी–अपनी उपस्थिति छुपाते हुए राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सुंधार ढाणा के इर्द–गिर्द पोजीशन लेकर परिवादी के गोपनीय ईशारे का इन्तजार किया। तत्पश्चात् वक्त 12.41 पी.एम. पर परिवादी श्री हीराराम टाक ने पूर्व निर्धारित गोपनीय ईशारानुसार अपने मोबाईल नं. 7976210683 से मन सुनिता कुमारी निरीक्षक पुलिस के मोबाईल नं.9784854073 पर कॉल किया जिस पर मन निरीक्षक पुलिस मय श्री सुरेन्द्र कुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान मय ब्यूरो जाब्ता राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सुंधार ढाणा मथानिया के सामने पहुंचे जहां विद्यालय के मुख्य गेट पर परिवादी श्री हीराराम टाक उपस्थित मिला। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री हीराराम टाक को पूर्व में सुपुर्द किया गया कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्ड प्राप्त कर उसको स्वीच ऑफ कर अपने पास सुरक्षित रखा तावाद परिवादी श्री हीराराम टाक ने बताया कि श्री मनोहरसिंह पातावत प्रधानाध्यापक ने मेरे को रिश्वत राशि श्री सांवरमल बाजिया अध्यापक को देने का कहकर श्री मनोहरसिंह पातावत ने श्री सांवरमल बाजिया अध्यापक को प्रधानाध्यापक कार्यालय में बुलाकर मेरे से रिश्वत राशि 2000/–रूपये श्री सावरमल बाजिया अध्यापक को देने हेतु कहा। जिस पर श्री सांवरमल बाजिया अध्यापक ने रिश्वति राशि 2000/–रूपये मेरे से प्राप्त कर अपनी पहनी हुई जिन्स के पीछे की दाहिनी जेब में रखी है। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस, परिवादी, स्वतन्त्र गवाहान मय ब्यूरो जाब्ता के विद्यालय परिसर में प्रवेश हुए। जहां पर परिवादी ने विद्यालय में बने दाहिनी तरफ के प्रथम कमरा कक्ष की तरफ ईशारा कर बताया कि इस कमरे में ऑफ वाईट कलर का शर्ट एवं जिन्स पहने हुए श्री सांवरमल बाजिया अध्यापक खडे है तथा सामने बरामदे में लाईनिंग किम कलर का शर्ट एवं डार्क ब्ल्यू कलर की पेन्ट पहने हुए खडे है वो श्री मनोहरसिंह पातावत प्रधानाध्यापक है। जिस पर मन निरीक्षक पुलिस ने ऑफ वाईट कलर का शर्ट एवं जिन्स पहने हुए व्यक्ति को अपना मय समस्त हमरायान का परिचय देते हुए उनका परिचय पुछा तो अपना नाम सांवरमल बाजिया पुत्र श्री फूलचन्द बाजिया उम्र 39 वर्ष जाति जाट निवासी गांव नयाबास तहसील दातारामगढ जिला सीकर हाल अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सुंधारा ढाणा मथानिया जोधपुर होना बताया। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा ब्यूरो जाब्ता से श्री सांवरमल बाजिया के दोनो हाथ कलाई के उपर से पकड़वाया जाकर बरामदे में लाया गया। जहां पर लाईनिंग किम कलर का शर्ट एवं डार्क ब्ल्यू कलर की पेन्ट पहने हुए खडे व्यक्ति की तरफ परिवादी ने ईशारा कर बताया कि यही श्री मनोहरसिंह पातावत प्रधानाध्यापक है। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस ने उक्त व्यक्ति को अपना मय समस्त हमरायान का परिचय देते हुए उनका परिचय पुछा तो उन्होने अपना नाम श्री

मनोहरसिंह पातावत पुत्र श्री भंवरसिंह जाति राजपूत उम्र 50 वर्ष निवासी शिवजी नगर नाले के पास बालसमन्द जिला जोधपुर हाल प्रधानाध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सुथार ढाणा मथानिया जिला जोधपुर होना बताया। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस ने ब्यूरो जाब्ता से श्री मनोहरसिंह पातावत व सांवरमल बाजिया को प्रधानाध्यापक कक्ष में लाया गया। जहां पर मन् निरीक्षक पुलिस ने रूबरू गवाहान परिवादी श्री हीराराम टाक की तरफ ईशारा कर श्री मनोहरसिंह पातावत प्रधानाध्यापक को पुछा की क्या आप इन्हे जानते हो ? तो श्री मनोहरसिंह पातावत ने बताया कि यह श्री हीराराम टाक जो इस विद्यालय से बी.एड. की द्वितीय वर्ष इन्टरशिप की है। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस ने श्री मनोहरसिंह पातावत से रिश्वति राशि के बारे में पुछा कि आपने परिवादी श्री हीराराम टाक से किस काम के लिये रिश्वत राशि मांगी है। जिस पर श्री मनोहरसिंह पातावत ने बताया मैंने इन्वर्टर की बैटरी के लिये 2000/- रूपये की मांग की। जिस पर पास ही खडे परिवादी श्री हीराराम टाक ने बताया कि श्री मनोहरसिंह पातावत प्रधानाध्यापक इन्टरशिप का प्रमाण पत्र देने की ऐवज में 2000/--रूपये की रिश्वत राशि की मांग की तथा रिश्वत राशि मांग के वक्त श्री सांवरमल बाजिया भी मौके पर उपस्थित था तथा श्री मनोहरसिंह पातावत के कहने पर ही आज रिश्वति राशि 2000/- श्री सांवरमल बाजिया अध्यापक ने मेरे से प्राप्त की है। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस ने श्री मनोहरसिंह पातावत को सांवरमल बाजिया को परिवादी से रिश्वत राशि दिलाने बाबत पुछा तो श्री मनोहरसिंह पातावत ने कहा कि साहब मेरे से गलती हो गई, माफी चाहता हूं। ताबाद मन् निरीक्षक ने श्री सांवरमल बाजिया अध्यापक को पास ही खडे परिवादी श्री हीराराम टाक की तरफ ईशारा कर पुछा की क्या आप इन्हे जानते ? तो श्री सांवरमल बाजिया अध्यापक ने बताया कि यह श्री हीराराम टाक है जिसने इस विद्यालय से इस वर्ष की बी.एड. द्वितीय वर्ष की इन्टरशिप की है। जिस पर मन् निरीक्षक ने श्री सांवरमल बाजिया को पुछा की श्री हीराराम टाक से आपने आज किस काम के लिये 2000/- रूपये की रिश्वत राशि ली है ? तो श्री सांवरमल बाजिया अध्यापक ने बताया कि श्री हीराराम टाक आज इस विद्यालय में आकर प्रधानाध्यापक श्री मनोहरसिंह पातावत से मिला था तब मैं मेरे स्कूल में ही कक्षा प्रथम व द्वितीय की शामिल क्लास ले रहा था। उस समय श्री मनोहरसिंह पातावत प्रधानाध्यापक ने मुझे आवाज देकर अपने कार्यालय कक्ष में बुलाया और श्री हीराराम टाक से रिश्वति राशि 2000/- रूपये लेने हेतु कहा जिस पर श्री मनोहरसिंह पातावत प्रधानाध्यापक के कहने पर मैंने श्री हीराराम टाक से 2000/--रूपये रिश्वति राशि प्राप्त मेरी पहनी हुई जिन्स के पीछे की दाहिनी जेब में रखी है और साथ ही कहा कि साहब मेरे से गलती हो गई। जिस पर रूबरू गवाहान के अग्रिम हाथ धोवन की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। टवेरा वाहन से ट्रेप बॉक्स मंगवाकर ट्रेप बॉक्स में से दो कॉच के साफ गिलास निकाल कर उक्त कॉच की गिलासो में विद्यालय में रखी पानी के कैम्पर में से साफ पीने का पानी मंगवाया जाकर उक्त कांच की दो गिलासो को भरवाया गया। उक्त दोनो गिलासो में एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का पाऊडर डालकर चम्मच से हिलाया गया तो दोनो गिलासो के घोल का रंग रंगहीन रहा। जिसे सभी उपस्थितगणो ने रंगहीन होना स्वीकार किया। एक गिलास के तैयार रंगहीन घोल में सह आरोपी श्री सांवरमल बाजिया अध्यापक के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर मटमैला हो गया जिसे सभी उपस्थितगणो ने उक्त घोल का रंग मटमैला होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग-अलग कॉच की शीशीयों में आधा आधा भरकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण लिखकर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयो पर मार्क आर.एच. 1 व आर.एच.-2 अंकित किया गया। तत्पश्चात दूसरे कॉच की गिलास के तैयार रंगहीन घोल में सह आरोपी श्री सांवरमल बाजिया अध्यापक के बायें हाथ की अगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया जिसे सभी उपस्थितगणो ने उक्त घोल के रंग को हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग-अलग कॉच की शीशीयों में आधा आधा भरकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क एल.एच.-1 व एल.एच.-2 अंकित किया गया। तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा स्वतन्त्र गवाह श्री नागेन्द्र राजपुरोहित से सह आरोपी श्री सांवरमल बाजिया अध्यापक की जामा तलाशी लिरवाई गई तो आरोपी के पहनी हुई जिन्स के पीछे की दाहिनी जेब से भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपये नोट मिले। उक्त नोटों को गवाह श्री नागेन्द्र राजपुरोहित से गिनवाये गये तो 500-500 रूपये के 04 नोट कुल राशि 2000/- रूपये होने पर पूर्व मे मुर्तिबा फर्द पेशकशी गवाह श्री गौरव कुमार को सुपुर्द कर फर्द में अंकित नोटों के नम्बरो का मिलान बरामद राशि के नोटों के नम्बरों से करवाने पर नोटों के नम्बर हुबहु होना पाये गये। उक्त भारतीय मुद्रा 2000/--रूपये को बतौर वजह सबूत कपडे के टुकडे के साथ सील चिट कर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितगणों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ब्यूरो लिये गये। सह आरोपी श्री सांवरमल बाजिया अध्यापक की जामा तलाशी में ही पहने हुए शर्ट की उपर की जेब में एक ओपो कम्पनी का डयूल सिम मोबाईल मिला। जिसके आईएमईआई नम्बर 1.866901047263779 2. 866901047263761 जिसमें एक जीयो कम्पनी की सिम नम्बर 9799469680 होना पाया गया। उक्त मोबाईल सह आरोपी श्री सांवरमल बाजिया अध्यापक के पास ही रहने दिया

गया। इसके अतिरिक्त सह आरोपी श्री सांवरमल बाजिया के पास अन्य कोई संदिग्ध राशि या वस्तु नहीं मिली। तत्पश्चात् रिश्वति राशि बरामदगी स्थान सह आरोपी श्री सांवरमल बाजिया के पहनी हुई जिन्स के पीछे की दाहिनी जेब का धोवन लिया जाना आवश्यक होनें के कारण आरोपी के पहननें के लिए दूसरी पेन्ट की व्यवस्था की जाकर सह आरोपी श्री सांवरमल बाजिया के पहनी जिन्स कों उतरवाया जाकर दूसरी पेन्ट पहनवाई गई। उक्त जिन्स के पीछे की दाहिनी जेब जहां से रिश्वति राशि 2000/- रूपये बरामद हुई, का धोवन लेने हेतु दोनों स्वतन्त्र गवाहान के रूबरू एक कॉच के साफ गिलास में साफ पानी भरवाया गया। उक्त गिलास में एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का पाऊडर डालकर चम्मच से हिलाया गया तो उक्त गिलास के घोल का रंग रंगहीन रहा। जिसे सभी उपस्थितगणो ने रंगहीन होना स्वीकार किया गया। सह आरोपी श्री सांवरमल बाजिया के पहनी हुई जिन्स के पीछे की दाहिनी जेब को उल्टा करवाकर उक्त तैयार घोल में डुबाया गया तो धोवन का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया जिसे सभी उपस्थितगणो ने उक्त घोल का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग-अलग कॉच की शीशीयां में आधा आधा भरकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण लिखकर सम्बन्धितगणों के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क पी-1 व पी-2 अंकित किया गया। उक्त जिन्स के पीछे की दाहिनी जेब जिसमें से रिश्वति राशि बरामद हुई है, उक्त जिन्स के पीछे की दाहिनी जेब का पंखे की हवा में सुखाकर जिन्स के पीछे की दाहिनी जेब पर सम्बन्धितगणों के हस्ताक्षर करवाकर उक्त जिन्स को एक सफेद कपड़े की थैली में डलवाकर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगणों के हस्ताक्षर करवाकर थैली को शील्ड मोहर किया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री मनोहरसिंह पातावत प्रधानाध्यापक से परिवादी के पेण्डिंग कार्य से सम्बन्धित दस्तावेजों के बारे में पुछा गया तो उन्होने अपने कार्यालय कक्ष में परिवादी श्री हीराराम टाक का विद्यालय स्थानबद्ध प्रशिक्षण पूर्णता प्रमाण पत्र एवं शाला प्रधाना द्वारा किया जाने वाला मूल्यांकन प्रपत्र पेश किया। जिसका अवलोकन किया तो उक्त दोनों प्रमाण आज दिनांक 18.08.2023 को श्री मनोहरसिंह पातावत प्रधानाध्यापक द्वारा हस्ताक्षर मय कार्यालय मोहर अंकित कर जारी किया गया है। परिवादी के पेण्डिंग कार्य सम्बन्धी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त किया जाना आवश्यक होने से कार्यवाही स्थल पर श्री मानसिंह अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सुंधार ढाणा को तलब कर परिवादी के उक्त प्रमाण दोनों प्रमाण पत्र की प्रतियां श्री मानसिंह अध्यापक से प्रमाणित करवाकर शामिल रनिंग नोट की। श्री मनोहरसिंह पातावत प्रधानाध्यापक व श्री सांवरमल बाजिया अध्यापक का उक्त कृत्य अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व धारा 120 बी भादंस का जुर्म प्रथमदृष्टया घटित होना पाया गया। उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुई एवं दौराने कार्यवाही अन्य कोई दस्तावेज, वस्तु कब्जा ब्यूरो नहीं ली गई। उक्त समस्त कार्यवाही रूबरू मौतबिरान की जाकर की गई कार्यवाही की फर्द बरामदगी रिश्वती राशि एवं हाथ धावन मुर्तिब कर सम्बंधितान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल रनिंग नोट की गई। ताबाद वक्त 04.30 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस एवं दोनो स्वतन्त्र गवाह एवं परिवादी की उपस्थिति में परिवादी श्री हीराराम टाक की निशादेही पर घटना स्थल का निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका एवं निरीक्षण घटना स्थल मुर्तिब कर शामिल रनिंग नोट किया गया। तत्पश्चात वक्त 05.15 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी श्री मनोहरसिंह पातावत पुत्र श्री भंवरसिंह जाति राजपुत उम्र 50 वर्ष निवासी शिवजी नगर नाले के पास बालसमन्द जिला जोधपुर हाल प्रधानाध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सुंधार ढाणा मथानिया जिला जोधपुर को किये गये जुर्म से आगाह कर जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना उनके कहेनुसार उसके मकान में किरायेदार श्री विरेन्द्र कुमार को जरिये मोबाईल दी गई। तत्पश्चात वक्त 05.30 पी.एम. पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा सह आरोपी श्री सांवरमल बाजिया पुत्र श्री फूलचन्द बाजिया उम्र 39 वर्ष जाति जाट निवासी गांव नयाबास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर हाल अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सुंधार ढाणा मथानिया जोधपुर को किये गये जुर्म से आगाह कर जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना उनके कहेनुसार उसके मित्र श्री सोहन चौधरी को जरिये मोबाईल दी गई। ताबाद मन निरीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी श्री मनोहरसिंह पातावत, सह आरोपी श्री सांवरमल बाजिया, श्री मानसिंह चारण अध्यापक एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थित में रा०उ०प्रा०वि० सुंधार ढाणा के प्रधानाध्यापक कार्यालय कक्ष की तलाशी ली जाकर फर्द खाना तलाशी मुर्तिब कर शामिल रनिंग नोट किया गया। तत्पश्चात वक्त 06.20 पी.एम. पर परिवादी श्री हीराराम टाक को कल दिनांक 19.08.2023 को प्रातः 07.00 बजे ब्यूरो कार्यालय जोधपुर में उपस्थित होने की हिदायत देकर रूखसत किया गया। ताबाद मन् सुनिता कुमारी निरीक्षक पुलिस मय दोनो स्वतन्त्र गवाहन श्री नागेन्द्र राजपुरोहित, श्री गौरव कुमार, ब्यूरो जाब्ता श्री सुरेन्द्र कुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, श्री मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस, श्री जगदीश चौधरी सहायक उप निरीक्षक पुलिस, श्री भुरसिंह कानि. नं. 23, श्री छैलाराम कानि. नं. 46, श्री भरत डुकिया कनिष्ठ सहायक मय गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री मनोहरसिंह पातावत व सह आरोपी श्री सांवरमल बाजिया तथा फर्दातानुसार मालखाना आईटम एवं समस्त ट्रेप सामग्री के रा0उ0प्रा0वि0 सुंधार ढाणा मथानिया से जरिये प्राईवेट वाहन एवं सरकारी वाहन

जैसा नं. आरजे 14 युसी 3552 मय कानि. चालक श्री प्रेमसिंह नं. 535 से कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर शहर के लिये रवाना होकर मन् सुनिता कुमारी निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान के जिला अस्पताल पावटा पंहुच गिरफ्तार सुदा दोनों आरोपिगण श्री मनोहरसिंह पातावत एवं श्री सांवरमल वाजिया का स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त कर शामिल रनिंग नोट की गई। ताबाद वहां रवाना होकर पुलिस थाना उदयमन्दिर पहुंच आरोपीगण के रात्रि विश्राम हेतु तहरीर देकर दोनों आरोपीगण को सुरक्षा की दृष्टि बन्द हवालात करा निगरानी मामुर कर प्राप्ति रसीद प्राप्त कर वक्त 08.30 पी.एम. पर कार्यालय पहुंच प्रकरण से संबंधित शील्ड सुदा प्रर्दश कमशः मार्क आरएच–1, आरएच–2, एलएच–1, एलएच–2, पी–1, पी -2, आरोपी श्री सांवरमल वाजिया जब्त शुदा जिन्स का शील्डसुदा पैकेट एवं शील्ड सुदा रिश्वती राशि 2000/–रूपये को मालखाना प्रभारी श्री भुरसिंह कानि. नं. 23 को सुपुर्द कर मालखाना रजिस्टर मे इन्द्राज करवाया जाकर जमा मालखाना करवाया गया। तत्पश्चात कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर जिसमे दिनांक 17.08.2023 को आरोपीगण एवं परिवादी के मध्य हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता एवं दिनांक 18.08.2023 को परिवादी एवं आरोपीगण के मध्य हुई रिश्वती राशि वक्त लेन–देन वार्ता रिकॉर्ड हैं उक्त रिकॉर्डर को मन निरीक्षक पुलिस ने अपनी अभिरक्षा मे रखा। ताबाद दोनों स्वतंत्र गवाहान को कल दिनांक 19.08.2023 को वक्त 7.00 ए.एम पर कार्यालय हाजा मे उपस्थित आने की हिदायत कर रूखसत किया गया। दिनांक 19.08.2023 को वक्त 07.00 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्द परिवादी श्री हीराराम टाक उपस्थित आया। ताबाद वक्त 08.20 ए.एम. पर पूर्व पाबन्द शुदा स्वतन्त्र गवाहान श्री नागेन्द्र राजपुरोहित एवं श्री गौरव कुमार कार्यालय हाजा में उपस्थित आये। तत्पश्चात् वक्त 08.30 ए.एम. पर परिवादी श्री हीराराम टाक एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहन की उपस्थिति में परिवादी श्री हीराराम टाक एवं आरोपी श्री मनोहरसिंह पातावत प्रधानाध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सुंधार ढाणा मथानिया के मध्य हुई वक्त रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्तालाप दिनांक 17.08.2023 जो कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड है। उक्त डिजीटल वॉयस रिकार्डर मन् निरीक्षक पुलिस की सुरक्षित अभिरक्षा से निकालकर उक्त वार्तालाप का दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी की उपस्थिति में रिकॉर्ड वार्ता को मेरे निर्देशन में एवं मौजुदगी में कम्प्यूटर ऑपरेटर श्री गणेशराम वरिष्ठ सहायक द्वारा कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर उसमें कॉपी कर उक्त रिकॉर्ड वार्तालाप को रुबरु मौतबिरान व परिवादी के सुन–सुन कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन तैयार की जाकर, फर्द पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर फर्द को शामिल रनिंग नोट किया गया। डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता में एक आवाज परिवादी श्री हीराराम टाक ने अपनी व दुसरी आवाज आरोपी श्री मनोहरसिंह पातावत प्रधानाध्यापक की होना बताया। उक्त वार्तालाप की विभागीय कम्प्यूटर की मदद से तीन सीडीयां तैयार की। एक सीडी को मुल मानते हुए कपडे थैली में डालकर कपडे की थैली को शील्ड मोहर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितान के हस्ताक्षर करवाये गये। दो सीडीयों को डब मानते हुए खुला ही रहन दिया गया। तत्पश्चात वक्त 10.25 ए.एम. पर आरोपी श्री मनोहरसिंह पातावत एवं सह आरोपी सांवरमल वाजिया की डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड आवाज की पहचान हेतु पीईईओ मैडम को जरिये मोबाईल दो कार्मिकों को ब्यूरो कार्यालय भिजवाने हेतु निवेदन किया। तत्पश्चात वक्त 10.30 ए.एम. पर परिवादी श्री हीराराम टाक एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहन की उपस्थिति में परिवादी श्री हीराराम टाक एवं आरोपी श्री मनोहरसिंह पातावत प्रधानाध्यापक व श्री सांवरमल वाजिया अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सुंधार ढाणा मथानिया के मध्य वक्त रिश्वति राशि लेन–देन हुई रूबरू वार्तालाप दिनांक 18.08.2023 जो कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड है। उक्त रिकॉर्ड वार्तालाप का दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी की उपस्थिति में मेरे निर्देशन में एवं मौजुदगी में कम्प्यूटर ऑपरेटर श्री गणेशराम वरिष्ठ सहायक द्वारा कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर उसमें कॉपी कर उक्त रिकॉर्ड वार्तालाप को रुबरु मौतबिरान व परिवादी के सुन–सुन कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत राशि लेन–देन तैयार की जाकर, फर्द पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर फर्द को शामिल रनिंग नोट किया गया। डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता में एक आवाज परिवादी श्री हीराराम टाक ने अपनी व दुसरी आवाज आरोपी श्री मनोहरसिंह पातावत प्रधानाध्यापक एवं तीसरी आवाज श्री सांवरमल वाजिया अध्यापक की होना बताया। उक्त वार्तालाप की विभागीय कम्प्यूटर की मदद से चार सीडीयां तैयार की। एक सीडी को मुल मानते हुए कपडे थैली में डालकर कपडे की थैली को शील्ड मोहर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितान के हस्ताक्षर करवाये गये। तीन सीडीया को डब मानते हुए खुला ही रहन दिया गया। तत्पश्चात् वक्त 12.30 पी.एम. पर शिक्षा विभाग से पूर्व से पाबन्द शुदा दो व्यक्ति उपस्थित आये जिन्हे मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपना परिचय दिया जाकर उनका बारी–बारी से परिचय पुछने पर श्री मानसिंह पुत्र श्री बन्नेदान उम्र 50 वर्ष जाति चारण निवासी मेहरों जोतो का बास मथानिया जोधपुर हाल अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सुंधार ढाणा मथानिया जोधपुर व श्री चन्द्र प्रकाश दवे पुत्र श्री लक्ष्मण कुमार दवे जाति ब्राह्मण उम्र 41 वर्ष निवासी मुनि महाराज मन्दिर के पास मानसागर महामन्दिर जोधपुर हाल अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सुंधार ढाणा मथानिया

जोधपुर के रूप में दिया गया। तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा बुलाने के मन्तव्य से अवगत करवाया जाकर मौखिक सहमति प्राप्त की गई। तत्पश्चात वक्त 12.40 पी.एम. पर आरोपी श्री मनोहरसिंह पातावत प्रधानाध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सुंधार ढाणा मथानिया जोधपुर एवं सह आरोपी श्री सांवरमल अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सुंधार ढाणा मथानिया जोधपुर की रिकार्ड की गई वार्ता की पहचान करने हेतु आरोपीगण के विभाग के तलब शुदा श्री मानसिंह एव श्री चन्द्र प्रकाश दवे है। उक्त आवाज पहचानकर्ता एवं स्वतंत्र गवाहान श्री नागेन्द्र राजपुरोहित व श्री गौरव कुमार के रूबरू मन् निरीक्षक पुलिस ने आपने पास रखी आरोपी श्री मनोहरसिंह पातावत एवं परिवादी श्री हीराराम टाक के मध्य हुई दिनांक 17.08.2023 की रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता, दिनांक 18.08.2023 को परिवादी श्री हीराराम टाक व आरोपी श्री मनोहरसिंह पातावत व सह आरोपी श्री सांवरमल बाजिया के मध्य हुई रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता की सीडीयों को कार्यालय के कम्प्युटर मे पृथक पृथक डालकर चलाया जाकर आरोपीगण के विभाग के उपस्थित उक्त पहचानकर्ताओ को रिकार्ड वार्ता के मुख्य मुख्य अंश सुनाये जाकर अलग से फर्द आवाज पहचान तैयार कर की गई। बाद आवाज पहचान कार्यवाही गवाह श्री मानसिंह व श्री चन्द्र प्रकाश दवे को रवाना किया गया। तत्पश्चात वक्त 01.30 पी.एम. पर परिवादी श्री हीराराम टाक व आरोपी श्री मनोहरसिंह पातावत के मध्य दिनांक 17.08.2023 को रिश्वती राशि वक्त मांग सत्यापन वार्ता की एवं दिनांक 18.08.2023 को परिवादी श्री हीराराम टाक व आरोपी श्री मनोहरसिंह पातावत व सह आरोपी श्री सांवरमल बाजिया के मध्य वक्त रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता हुई रूबरू वार्ता की विभागीय कम्प्यूटर की मदद से पूर्व में सीडीया तैयार की गई थी को श्री भूरसिंह कानि. नं. 23 को सुपुर्द कर मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज करवाकर मालखाना जमा करवाया गया। दोनो स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी को बाद कार्यवाही के इजाजत वापसी दी गई।

अब तक की सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया कि परिवादी श्री हीराराम टाक सुचेता कृपलानी बी.एड कॉलेज में बी.एड. द्वितीय वर्ष का छात्र है जिसने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सुंधार ढाणा मथानिया जोधपुर में 96 दिन की इन्टरशिप पुरी है। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सुंधार ढाणा का प्रधानाध्यापक श्री मनोहरसिंह पातावत इन्टरशिप प्रमाण पत्र देने की ऐवज में 2000/-रूपये की रिश्वत राशि की मांग की। जिस पर दिनांक 17.08.2023 को रिश्वत रिश्वत मांग सत्यापन करवाया गया तो इन्टरशिप प्रमाण पत्र देने की ऐवज में 2000/-रूपये रिश्वत राशि मांगने की पुष्टि हुई। जिस पर दिनांक 18.08.2023 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया। दौराने ट्रेप कार्यवाही प्रधानाध्यापक श्री मनोहरसिंह पातावत के कहने पर श्री सावरमल बाजिया अध्यापक द्वारा परिवादी श्री हीराराम टाक से 2000/-रूपये की रिश्वत राशि प्राप्त कर अपने पहने हुई जिन्स के पीछे की दाहिनी जेब में रखी। श्री सांवरमल बाजिया अध्यापक के दाहिने हाथ का धोवन मटमैला तथा बाये हाथ का धोवन हल्का गुलाबी प्राप्त होना तथा श्री सांवरमल बाजिया अध्यापक के पहने हुई जिन्स के पीछे की दाहिनी जेब धोवन हल्का गुलाबी प्राप्त होना तथा परिवादी का पैण्डिंग कार्य बी.एड. द्वितीय वर्ष का इन्टरशिप प्रमाण पत्र आरोपी श्री मनोहरसिंह पातावत द्वारा पेश करना आदि से आरोपी श्री मनोहरसिंह पातावत प्रधानाध्यापक व सह आरोपी श्री सांवरमल बाजिया अध्यापक का उक्त कृत्य अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व धारा 120 बी भादस का जुर्म प्रथम दृष्टया घटित होना पाया गया।

अतः आरोपी श्री मनोहरसिंह पातावत पुत्र श्री भवरसिंह जाति राजपूत उम्र 50 साल निवासी शिवजी नगर नाले के पास बालसमन्द जोधपुर हाल प्रधानाध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सुंधार ढाणा , मथानिया जोधपुर व सह आरोपी श्री सांवरमल बाजिया पुत्र श्री फूलचन्द बाजिया जाति जाट उम्र 39 साल निवासी नया बास तहसील दातारामगढ जिला सीकर हाल अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सुंधार ढाणा, मथानिया जोधपुर का कृत्य जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व धारा 120 बी भा.द.सं. में दण्डनीय होने से इनके विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु 07 प्रतियो में प्रेषित है।

भवदीय

(सुनिता कुमारी)
निरीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
जोधपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुनिता कुमारी, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1.आरोपी श्री मनोहरसिंह पातावत पुत्र श्री भवरसिंह हाल प्रधानाध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सुंधार ढाणा, मथानिया जोधपुर एवं 2.श्री सांवरमल बाजिया पुत्र श्री फूलचन्द बाजिया हाल अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सुंधार दाणा, मथानिया, जोधपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 222/2023 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

19/8/23

(कालूराम रावत)
उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कमांकः- 2585-89 दिनांक 19.08.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कम संख्या-1, जोधपुर।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
3. संयुक्त निदेशक, (स्कूल शिक्षा), जोधपरु संभाग, जोधपुर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय) प्रा0शि0, जोधपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।

19/8/23

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।